दिनांक 08.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

20 बकायादारों की होगी कुर्की, कुर्की अधिकारी नियुक्त

भिलाईनगर/ लंबे समय से सम्पत्तिकर की राशि नोटिस के बाद भी नहीं जमा करने वाले 20 उद्योगों के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई ने अधिनियम 1956 की धारा 175 का प्रयोग करते हुए कुर्की वारण्ट जारी किया है।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने निगम की वसूली को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से सम्पत्तिकर की रांिश जमा नहीं करने वाले के विरुद्ध शक्ति पत्र जारी करने के निर्देश सम्पत्तिकर अधिकारी अशोक द्विवेदी को दिये थे। विभागीय दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी के आधार पर वर्ष 1999 से अब तक नोटिस दिये जाने के बाद भी सम्पत्तिकर की राशि जमा नहीं करने वाले कुसुम केमिकल प्राईवेट लिमिटेड , कपुर अग्रवाल, एस0 चोपड़ा, गीता इण्डस्ट्रीज, छोटेलाल विश्वकर्मा शिव टिम्बर , विजय जायसवाल , रायल इण्डस्ट्रीज , रामकुमार अग्रवाल , पी0 मुरलीधरन पिल्ले, निरंजन प्रसाद , प्रमोद कुमार दास वार्ड 28 छावनी, आलविन इंजीनियरिंग जे 0के0 स्टील फाउन्ड्री, भिलाई आयरन एण्ड स्टील प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड , प्रिसिजन इंजीनियरिंग कारर्पोरेशन वार्ड 27, महादेवी/श्यामलाल, महेशकुमार वार्ड 23 नंदनी रोड, इन्द्रजीत सिंह राजपुत वार्ड 14 गौरव पथ रोड, अरुण कुमार पाटिल वार्ड 37 नंदनी रोड, झग्गर सिंह एवं भगवान दास निषाद वार्ड 45 दुर्गा चौक टंकी मरोदा को कुर्की वारण्ट जारी किया गया है। इन संस्थाओं से लगभग 30 लाख रुपये की वसूली सम्पत्तिकर के रुप में किया जाना है।

सम्पत्तिकर अधिकारी अशोक द्विवेदी ने क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चन्द्राकर, हरचरण सिंह अरोरा एवं मलखान सिंह सोरी को सभी 20 फर्मों से सम्पत्तिकर की राशि वसूल करने के निर्देश देते हुए कहा है कि संस्था द्वारा सम्पत्तिकर की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनके प्रतिष्ठान की कुर्की कर सील बंद की कार्यवाही करें।

आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने भवन, दुकान एवं उद्योग के मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि सम्पत्तिकर की राशि नियमानुसार प्रतिवर्ष निर्धारित समय में जमाकर कुर्की की कार्यवाही से बचें।

जनसम्पर्क अधिकारी

’’जल है तो कल है’’ ’’जल ही जीवन है’’